राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

मिसल संख्याः– ......4...... / 2024

–: आदेश :–   दिनांक :– 19.06.2024

तहसीलदार खेतडी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131,132 व राजस्थान भू– राजस्व नियम, 1957 के नियम 58,59,60,66 व 86 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार खेतडी के पत्र कमांक राजस्व / 2024 / 79 दिनांक 02.05.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार रास्ता मौके पर चालु है, परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है, को निम्नलिखित रूप से आदेश के संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस में अकिंत दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार खेतडी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। प्रस्तुत प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस (प्रदर्श "अ" व "ब") इस आदेश के अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतडी रास्ते का नामान्तकरण दर्ज कर रास्ते का नक्शे में लाल स्याही से अंकन करें। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू जमाबन्दी से पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावेगी। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खातेदारो के खाते में ही रहेगी।

क्र.स.	नाम राजस्व ग्राम	पटवार मण्डल	तहसीलदार खेतड़ी के प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के मुताबिक रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के खसरा नम्बरान का विवरण
01	नई कोठी	माधोगढ़	**1347**

19/6/24

(सविता शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दिनांक 19.6.24

क्रमांक / राजस्व / 2024 / 567

प्रतिलिपि –

1. तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु वास्ते पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी खेतडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.24 17:58:09 IST
Reason: SelfAttested